कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, होशंगाबाद

E-mail : pswhos@mp.nic.in
कार्यालय दूरभाष–07574–252283

क्रमांक/510/नि.क./2018/ होशंगाबाद दिनांक 01/03/2018

//द्वितीय–विज्ञप्ति//

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र होशंगाबाद के भंडार शाखा में रखी गई अनुपयोगी लोहा एल्युमिनियम टीन की खुली नीलामी किए जाने हेतु दिनांक 24.03.2018 को समय अपरान्ह 01:30 बजे तक निविदा उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण होशंगाबाद (जिला पंचायत भवन के कक्ष क्रमांक 26 में) आमंत्रित की जाती है। प्रस्तुत निविदाकार को नीलामी से संबंधित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट एवं पत्र निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नीलामी से संबंधित शर्ते जिले की वेबसाईट www.hoshangabad.mp.gov. in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। सामग्री का अवलोकन कार्यालयीन समय में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र होशंगाबाद (शासकीय चिकित्सालय परिसर) में उपस्थित होकर कर सकते है। प्रस्तुत निविदाकार के समक्ष गठित समिति द्वारा दिनांक 24.03.2018 को समय अपरान्ह 03:00 बजे से नीलामी की कार्यवाही की जावेगी। नीलाम की जाने वाली सामग्री का नाम एवं अनुमानित वजन का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	अनुपयोगी सामग्री का नाम	संख्या	कुल वजन
1	ट्रायसिकल फ्रेम लोहे की	20 नग	500 कि.ग्रा.
2	ट्रायसिकल रिंग टीन की	40 नग	120 कि.ग्रा.
3	ट्रायसिकल मटगार्ड टीन की	20 नग	5 कि.ग्रा.
4.	चेयर फ्रेम लोहे के एंगल की	02 नग	16 कि.ग्रा.
5	चेयर फ्रेम लोहे के पाईप की	03 नग	15 कि.ग्रा.
6	साईन बोर्ड टीन की चादर का	01 नग	30 कि.ग्रा.
7	कूलर ट्रे (टीन की)	02 नग	20 कि.ग्रा.
8	कूलर वाडी एंगल	06 नग	12 कि.ग्रा.
9	टीन चादर एवं बोर्ड एंगल सहित	04 नग	60 कि.ग्रा.
10	खिड़की लोहे की	05 नग	300 कि.ग्रा.
11	लोहे की जाली	15 कि.ग्रा.	15 कि.ग्रा.
12	फ्लेक्स पाईप	40 कि.ग्रा.	40 कि.ग्रा.
13	चौखट लोहे की	02 नग	80 कि.ग्रा.
14	बैसाखी एल्युमिनियम की	30 नग	7.5 कि.ग्रा.

नीमाली की शर्तेः–

1– नीलामी बोली बोलने वाले पक्षकार को बोली शुरू होने के पूर्व उपरोक्तानुसार अमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा ***"उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण होशंगाबाद"*** के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा, नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी।

2– कार्यालयीन दिवस में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र जिला चिकित्सालय परिसर होशंगाबाद में आकर सामग्री की सूची तथा सूची अनुसार सामग्री को देखा जा सकता है।

3– तालिका में कमांक 01 से 14 तक दर्शाई गई सामग्री का वजन अनुमानित है जो कम व अधिक भी हो सकता है। समिति के समक्ष स्थल पर सामग्री का वजन किया जावेगा, जो अंतिम होगा।

4– इच्छुक व्यक्ति अथवा फर्म को निविदा के साथ अमानत की राशि 2000=00 रूपए का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।

5– सामग्री की बोली रखी गई आफसेट प्राईज से शुरू होगी। तदपश्चात अधिकतम बोली पर समाप्त होगी।

6– अधिकतम बोलीकर्त्ता द्वारा सामग्री प्राप्त न करने पर नीलामी में द्वितीय बोलीकर्त्ता को अवसर दिया जावेगा। किसी भी बोली को समाप्त करने का अधिकार नीलामी समिति/कलेक्टर होशंगाबाद को होगा।

7– नीलामी में अधिकतम बोली बोलने वाले पक्षकार को बोली के उपरांत 25 प्रतिशत राशि उसी दिन अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा।

8– नीलामी की द्वितीय बोली लगाने वाले व्यक्ति को अमानत राशि सामग्री विकय के उपरांत ही लोटाई जावेगी।

9– नीलामी की शर्तो में परिवर्तन करने तथा किसी भी स्थिति में नीलामी प्रकिया स्थगित या निरस्त करने के लिए समिति अधिकृत रहेगी।

10– नीलामी में अधिकतम बोली के संबंध में प्रकरण समिति द्वारा कलेक्टर महोदय को भेजा जावेगा। कलेक्टर महोदय की स्वीकृति उपरांत सूचना प्राप्ति के 10 दिवस के अंदर शेष राशि जमा कर सामग्री अपने व्यय से उठाना होगा अन्यथा अग्रिम जमा 25 प्रतिशत राशि राजसात कर ली जावेगी।

11– नीलामी से संबंधित सामग्री का वजन इलेक्ट्रानिक कॉटा पर कराया जावेगा। जिसके व्यय का भुगतान संबंधित निविदाकार को वहन करना होगा।

12– नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कलेक्टर होशंगाबाद का निर्णय अंतिम होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, होशंगाबाद

H:\Letter of Nishakt Kalyan 2017.docx 705